



<p>तारिख हुयम</p>	<p>हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>
<p>17.03.2020</p>	<p>वादी के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ </p> <div style="text-align: center;">  <p>सत्यमेव जयते</p> <p>Web Copy - Not Official</p> </div> <p>05.03.2020 वादी के अधिवक्ता साहस की ओर से कालिका</p>

न्यायालय उपर

पीठासीन अधिकारी :

राजस्व वाद संख्या :

1. मांगीलाल ए
- हनुमानगढ़।

1. हेतराम पुत्र
2. प्रमिला पुत्री
- तहसील पद

दादा

1. श्री मदन ग
2. श्री भवानी

वादी द्वारा के तहत इस न्याय के नाम से चक पत्थर नम्बर 127, हैक्टर नहरो व च (4) किला नम्बर 2 प्रतिलिपि जमाबन्द वादी व प्र संख्या 1 के नाम का उक्त वर्णित धारा 2 में वर्णित अपना हक व हि धारा 2 में वर्णित बंटवारा अनुसार कृषि भूमि विभाज प्रतिवादी संख्या प्रभाव पड़ रहा प्रतिवादी संख्या घोषणा करवाने वादी ने कृषि भूमि में राजस्व अभिलेख कारण है। विव

